न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 22/2023 FSSA

1.सरकार जरिये डॉ मदन लाल गूजर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री रामबिलास शर्मा नौकर/सहायक कर्मचारी मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार गॉधी सर्किल के पास दौसा, जिला दौसा।
2. श्री कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री शम्भू दयाल गुप्ता मालिक/प्रोपरायटर मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार गॉधी सर्किल के पास दौसा, जिला दौसा।

–अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

–::आदेश::– दिनांकः–18.02.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.02.2023 को समय 03.24 पी.एम पर मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार गाँधी सर्किल के पास दौसा, जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री रामबिलास शर्मा मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री रामबिलास शर्मा ने स्वंय को मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार गाँधी सर्किल के पास दौसा, जिला दौसा का नौकर/सहायक कर्मचारी होना बताया एवं अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर श्री कृष्ण अवतार गुप्ता को उक्त फर्म का प्रोपराइटर होना बताया एवं अचार मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ ब्राण्डेड व नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) का व्यवसाय/निर्माण करता पाया गया, खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिकी पत्र प्रस्तुत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री श्रवण कुमार शर्मा की उपस्थिति में मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार गाँधी सर्किल के पास दौसा, जिला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान की रैक में 500–500 ग्राम के 21 पैकिट नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) रखे हुये थे जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री श्रवण कुमार शर्मा को फार्म 5ए की सूचना देते हुए श्री श्रवण कुमार शर्मा व गवाहान के फॉर्म 5ए पर हस्ताक्षर करवाये व मैने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा फॉम 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री श्रवण कुमार शर्मा को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) सील्ड पैक को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूं 21 पैकिटों में से 500–500 ग्राम के 4 पैकेट का ज्यों का त्यों चयन किया, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री श्रवण कुमार शर्मा को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 500–500 ग्राम के 4 पैकेट के 240 रु०/–अक्षरे दो सौ चालीस रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम 4 पैकेट को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सुखे प्लास्टिक के डिब्बो में रखकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे पर खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये बार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डीओ के कोड एवं कमांक AG–3189 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल के साथ नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) के लेबल को रखकर नियमानुसार श्री श्रवण कुमार शर्मा तथा गवाहान के नियमानुसार

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. AG–3189 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री श्रवण कुमार शर्मा ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूना का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म से 6 की एक प्रति के डीओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं श्री नरेन्द्र शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को दिनांक 15.02.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1445 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल० एस०/141/एक्ट/2023/163 दिनाक 24.02.2023 के अनुसार श्री श्रवण कुमार शर्मा से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया नींबू अचार (श्री गोर्वधन), एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लघंन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) एवं एफ.एस.एस.ए. के रेगुलेशन नं0 2.5(10) (Labelling & Display) का उल्लघंन करने के कारण कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का भी पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 उपस्थित हुए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण अभियुक्तगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल० एस०/141/एक्ट/2023/163 दिनाक 24.02.2023 के नमूने की जांच में USE BY/EXPIRY DATE-Not Labelled and BEST BEFORE-12 MONTHS FROM PACKAGING पाया गया है और It is not Labelled accordance to the Regulation. It is Contravention to the Regulation No. 2.5(10) of FS&S(Labelling&Display) Regulation 2020 भी पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लघंन होने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) एवं एफ.एस.एस.ए. के रेगुलेशन नं0 2.5(10) (Labelling & Display) का उल्लघंन करने के कारण कॉन्ट्रावेन (Contravene) पाया गया है। अतः एफएसएसए 2006 के नियम 2011 की धारा 52 व 58 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थीगण अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी अभियुक्त सं.2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी की मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार, गांधी सर्किल के पास दौसा स्थित दुकान है। प्रार्थीगण उक्त दुकान पर नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) आदि विक्रय करता है। अप्रार्थी सं.1 मेरी दुकान पर सहायक का कार्य करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थीगण के पास दुकान पर रखे करीब 500–500 ग्राम के 21 पैकिट नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) में से 4 पैकिट नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) खरीदा। उक्त खाद्य पदार्थ नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) का मिथ्याछाप (Mis–Branded) एवं कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर की जानकारी नही थी। जानकारी मिलने पर प्रार्थी द्वारा नियमानुसार लेबल तैयार करके ही उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा है। प्रार्थीगण भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल० एस० / 141 / एक्ट / 2023 / 163 दिनाक 24.02.2023 के नमूने की जांच में (USE BY/EXPIRY DATE-Not Labelled). BEST BEFORE-12 MONTHS FROM PACKAGING अंकित है और It is not Labelled accordance to the Regulation. It is Contravention to the Regulation No. 2.5(10) of FS&S(Labelling&Display) Regulation 2020 अंकित अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) मिथ्याछाप (Mis–Branded) एवं कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का पाया गया है। जिसके कारण एफएसएसए अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एवं Regulation No. 2.5(10) of FS&S(Labelling&Display) Regulation 2020 का उल्लंघन हुआ है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप (Mis–Branded) एवं Regulation No. 2.5(10) of FS&S(Labelling&Display) Regulation 2020 के कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर के खाद्य पदार्थ नींबू अचार (श्री गोर्वधन जी) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 02 कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री शम्भू दयाल गुप्ता मालिक / प्रोपरायटर मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार गॉधी सर्किल के पास दौसा, जिला दौसा(राज0) पर 10,000 / –रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 18.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांकः FSSA/26/50-52 दिनांकः– 18 .02.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री शम्भू दयाल गुप्ता मालिक / प्रोपरायटर मैसर्स श्री गोर्वधन अचार भण्डार गॉधी सर्किल के पास दौसा, जिला दौसा।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner